BITT POLYTECHNIC

(Approved by AICTE, New Delhi; Affiliated to Jharkhand University of Technology, Ranchi; Recognised by DHTE, Govt. of Jharkhand)



















DEPARTMENT OF TRAINING, PLACEMENT, CONSULTING, INNOVATION & RESEARCH (DTPCIR)

BITT-G/NOTICE/2022-23/ 10810

Dated: 17/06/2023

NOTICE

(An Initiative towards Youth Empowerment)

All the students of diploma on EE, ECE, CE & ME of sessions: 2019-22, 2018-21, 2017-20, 2016-19, 2015-18, 2014-17 are hereby informed that "JHARKHAND STAFF SELECTION COMMISSION (J.S.S.C.)" is shortly going to do online/ offline /recruitment/ Apprenticeship/ placement program.





JHARKHAND STAFF SELECTION COMMISSION (J.S.S.C) - JITOCE-2023

The Jharkhand Staff Selection Commission (J.S.S.C.) has been constituted by the Jharkhand Staff Selection Commission Act 2008 (Jharkhand Act 16, 2008) which was published vide Gazette notification no. 829 dt. 6 December 2008 of Jharkhand Government. The Act was amended by Jharkhand Act 03,2011 and Jharkhand Act 19,2011; published vide Gazette notification nos. 153 dt. 24 February 2011 and 687 dt. 11 October 2011 respectively. Initially The Office of the Jharkhand Staff Selection Commission was located at Dhurwa, Ranchi, till 01-08-2016. Since the accommodation fell short of the actual requirements of the Commission, its office was shifted to Kalinagar, Chaay Bagan, Namkum, Ranchi, Jharkhand – 834010 of which foundation stone was laid by then Hon'ble Chief Minister, Shri Hemant Soren and Later was inaugurated on 02.08.2016 by Hon'ble Chief Minister, Shri Raghuvar Das.

The State of JHARKHAND came into existence on 15th November, 2000 by carving out 18 districts of Bihar. The JHARKHAND Public Service Commission was constituted under the provisions of the Article 315 of the Constitution of India by the Governor of JHARKHAND. Jharkhand Public Service Commission was established with the aim of making a commission fully responsible for making the recruitment for the government posts in the state. The main objective of the Jharkhand Public Service Commission is to conduct written competitive examination and also the interviews for the selections of the candidates for

any government posts in the state. Jharkhand ("The land of forest") is a state in eastern India, created on 15 November 2000, from what was previously the southern half of Bihar. The state shares its border with the states of Bihar to the north, Uttar Pradesh to the northwest, Chhattisgarh to the west, Odisha to the south and West Bengal to the east. It has an area of 79,710 km2 (30,778 sq mi). It is the 15th largest state by area, and the 14thlargest by population. Hindi is the official language of the state. The city of Ranchi is its capital and Dumka its sub capital. The state isknown for its waterfalls, hills and holy places: Baidyanath Dham, Parasnath and Rajrappa are major religious sites. Jharkhand is endowed with vast resources of a variety of minerals and occupies a prominent place in thecountry's as a mineral rich State. Abundant reserves of high-grade Iron ore, Bauxite, Chromite, Manganese ore along with other minerals such as Coal, Limestone, Dolomite, Tin, Nickel, Vanadium, Lead, Graphite, Gold, Gemstone, Diamond, Dimension & Decorative Stone etc. are extensively available in the State.

The ScheduledTribe (ST) population of Jharkhand State is as per 2001 census 7,087,068 constituting 26.3 per cent of the totalpopulation (26,945,829) of the State. The Scheduled Tribes are primarily rural as 91.7per cent of them residein villages. District wise distribution of ST population shows that Gumla district has the highest proportion of STs (68.4per cent). The STs constitute more than half of the total population in Lohardaga and Pashchimi Singhbhum districts whereas Ranchi and Pakaur districts have 41.8 – 44.6 per cent tribal population. Kodarmadistrict (0.8 percent) preceded by Chatra (3.8 per cent) has the lowest proportion of the STs Population. Jharkhand has 32 tribal groups.

JOB DETAIL:

Job Role: Training Officers

Educational Qualification: Diploma in EE, ECE, CE & ME.

Diploma passing year: sessions: 2019-22, 2018-21, 2017-20, 2016-19, 2015-18, 2014-17.

Salary: Level-6 (35400-112400)

Job Location: Different locations of Jharkhand state.

Vacancy: Multiple

Last date of online registration is 22/07/2023.

RECRUITMENT PROCESS:

Online/ offline / Apprentices/recruitment/ placement program

DOCUMENTS REQUIRED (In Joining):

- 1. PAN Card
- 2. AADHAR Card
- 3. 10th /12thMark sheet
- 4. Board Certificate
- 5. Diploma Semester wise Mark sheet and Certificate.

NOTE:

- a. The interested students should fill their details at available Link: https://forms.gle/4pwsXoxRJh3Lecgw7 on or before 22/07/2023 up to 11:59 PM, for attending the online placement program.
- b. The above notice has been shared from the authentic source like advertisements/print media/ newspaper/ journals/recruiters/ public/ private sectors. The aim of the institute is to make an advanced level awareness of the vacancies in public as well as private sectors for recruitments/

placements of diploma students as per company's recruitment policies. The students have to complete the registration process on visiting the company website (career section) or fill up the recruiter's formson their links as well as they have to fill the college registration form in complete manner as per companynorms/HR policies. The recruitment/ placement programs are based on online/ offline tests and interviews conducted by authorized officials. The placements/joining will be only offered to those students who will qualify all the process. The college is helping hand for students and taking best possible efforts for their brighter future. Remember, there is no any shortcuts / easy way to have direct placements. The college is not fully responsible to the students who will not able to get selected in thedesired company.

BITT HELP-DESK: All students are advised to make only WhatsApp messages on BITT helpline WhatsApp No.- 9931080111. Students may send their feedbacks/suggestions/complaints through WhatsApp only. No any call will be entertained on this no. in any cases.

With Best Wishes, BITTP

For admission/Scholarship/Placement/Start-up/Entrepreneurship/Notices/Any details, Visit URL given as: http://www.bittpolytechnic.com

Coordinator, DTPCIR

Copy to,

- 1. Hon'ble Chairman, BITTGOI
- 2. Principal
- 3. Assistant Registrar
- 4. All HoDs
- 5. Controller of Examinations
- 6. Accounts Department
- 7. Workshops
- 8. Library
- 9. Notice Board
- 10. Website
- 11. File

POLYTECHNIC

(Approved by AICTE, New Delhi; Affiliated to Jharkhand University of Technology, Ranchi; Recognised by DHTE, Govt. of Jharkhand)

3 YRS. FULL-TIME POLYTECHNIC COURSE

- **MECHANICAL ENGINEERING**
- **ELECTRICAL ENGINEERING**
- **COMPUTER SCIENCE ENGINEERING**
- **CIVIL ENGINEERING**
- **ELECTRONICS & COMM. ENGINEERING**
- **CLOUD COMPUTING & BIG DATA**
- **COMPUTER ENGINEERING & IoT**
- **CYBER SYSTEM & INFORMATION SECURITY**
- AI & MACHINE LEARNING

Eligibility: 10th / Matric / JCECEB / Lateral Entry - 12th Sc. (with Maths/l.Sc pass / 10+2 vocation / ITI















ACADEMIC COLLABORATION / ASSOCIATED PARTNER













The **NEPRG** is based on cutting-edge research, placement & Growth in the World class companies across the world in multiple disciplines of Education.



TT NATIONAL YOUTH PLACEMENT CELL (BN

(An Initiative towards Youth Empowerment) is conducting EMPLOYMENT POOL CAMPUS DRIVE of SMILING BITT मुस्कान विश्वास का

बेटियां अब बोझ नहीं, हर बेटियों का अधिकार, शिक्षा से करें अपने सपनों को साकार, RKSVJSA के तहत विद्या लक्ष्मी छात्रवृति योजना अपने करियर को सफलता के शिखर पर पहुंचाएं।

हिन्दी, इंग्लिश, कंप्युटर एवं डिजिटल शिक्षा सभी के लिए। बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, लहका-लहकी एक समान। वुक्ष लगाओ-जीवन बचाओ, नशा मुक्त-स्वरूथ भारत, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर उर्जा, स्टार्ट अप, पीएम ई-विद्या, डिजिटल इंडिया, आत्मिनर्भर हिजिटल बीआईटीटी, इंटर्नशाला, लड़कियों के लिए विद्या लक्ष्मी स्कॉलरिशप, अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला, झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन, कौशल एवं कुशल रोजगार, कल्याणकारी छात्रवृत्ति योजनायें।

BITT POLYTECHNIC: BITT-DEVI DARSHAN ROAD, GETLATU, RANCHI-835217, JHARKHAND (INDIA), PH.: 0651 2273067 | ADMISSION HELP LINE 9905011011 | 9470193650



झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010 e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका

| विज्ञापन संख्या—08/2023

झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा–2023 (नियमित)

JITOCE-2023 (Regular)

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या—2082 दिनांक—11.04.2023 के माध्यम से श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, राँची के अन्तर्गत झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/सम्वर्ग के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में "झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा—2023" के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट www.jssc.nic.in पर लॉग—ईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. परीक्षा शुल्क:-

परीक्षा शुल्क रू. 100 / - (सौ रूपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूट:—झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू. 50/—(पचास रूपये) है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक—8559, दिनांक—23.10.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक नि:शक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रदद करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रह किये जा सकेगें। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

पूर्व निर्गत विज्ञापन संख्या—03/2022 एवं 04/2022 तथा विज्ञापन संख्या—17/2022 एवं 18/2022 से संबंधित झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा—2022 में आवेदन के साथ शुल्क जमा करने वाले वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, परन्तु उन्हें नये आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या (Registration Number) एवं जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। नये आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या (Registration Number) एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा।

3. आरक्षित वर्ग के प्रशिक्षण अधिकारी के विभिन्न पदों की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या—09/2023 प्रकाशित किया गया है, इसमें कुल रिक्ति—26 है। विज्ञापन संख्या—08/2023 एवं 09/2023 दोनों के लिए अहर्त्ता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प online आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक ही विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते है तो वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क ही देना होगा। दोनो विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जायेगी।

4.(i) रिक्तियों का विवरण (नियमित) :-

						पदों की सं	ख्या		
					कुर	न रिक्ति के	अधीन दौति	ज आरक्षण	
_)					गता आरक्षण	
क्र. सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्त ता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.अनारक्षित	38	02					
		2.अनुसूचित जनजाति	25	01	1				
		3.अनुसूचित जाति	09	00		200.000	24994	200000	
1	प्रशिक्षण अधिकारी	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	07	00	02	01	01	01	01
	(ड्राईग)	5. पिछड़ा वर्ग(अन्—II)	06	00	1				
	0	6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10	01					
	le control de la control de	योग :-	95	04	02	01	01	01	01
		1.अनारक्षित	35	02	02	U.	01	01	0.
	8	2.अनुसूचित जनजाति	23	01	-				
		3.अनुसूचित जाति	09	00				01	
2	प्रशिक्षण अधिकारी	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अन्-I)	09	00	01	01	01		01
	(गणित)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	06	00	<u> </u>				
	8	6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10	01					
	9	योग :-	90	04	01	01	01	01	01
	8	1.अनारक्षित	61	03					
		2.अनुसूचित जनजाति	40 (आदिम जनजाति—01)	02				02	19.200094
	प्रशिक्षण अधिकारी	3.अनुसूचित जाति	15	01	1				
3	(विद्यु त)	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	12	01	03	02	01		01
	(***3**/	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	09	00					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	16	01					
		योग :-	153	08	03	02	01	02	01
	9	1.अनारक्षित	58	03	ļ				
		2.अनुसूचित जनजाति	36 (आदिम जनजाति—01)	02					
	प्रशिक्षण अधिकारी	3.अनुसूचित जाति	15	01					
4	(फिटर)	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	12	01	02	02	01	02	01
	21	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	09	00					
	16	6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	14	01				20	
	2	योग :— 1.अनारक्षित	144 17	08 01	02	02	01	02	01
	प्रशिक्षण अधिकारी	2.अनुसूचित जनजाति	11	01					
	(मेक्ैनिक	3.अनुसूचित जाति	04	00					
5	जेनेरल	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	04	00	01	01	01	00	00
	इलेक्ट्रोनिक्स / इलेक्ट्रोनिक्स	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	02	00				İ	
	मेकैनिक)	6.आर्थिक रूप से कमजीर वर्ग	04	00					
	2, 100 B. L.	योग :-	42	02	01	01	01	00	00
		1.अनारक्षित	30	02					
6	प्रशिक्षण अधिकारी (वेल्डर)	2.अनुसूचित जनजाति 3.अनुसूचित जाति	19 08	01	— n1	01	01	01	00
	(पल्डर)	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अन्–I)	05	00					
		4.0(4.(140.4) 4.1(4.7-1)							

						पदों की सं	ख्या			
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण						
_				\vdash	9			गता आरक्षण		
क्र _॰ सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्त ता	चलन नि:शक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	05	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	07	00						
	*	योग :-	74	03	01	01	01	01	00	
		1.अनारक्षित	21	01	-					
		2.अनुसूचित जनजाति 3.अनुसूचित जाति	13 06	01						
7	प्रशिक्षण अधिकारी (मेकैनिक	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	04	00	01	01	01	00	00	
<i>'</i>	(नकानक) डीजल)	5. पिछड़ा वर्ग(अन्–II)	03	00	_					
	oreitij	6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	05	00	<u> </u>					
		योग :-	52	02	01	01	01	00	00	
		1.अनारक्षित	08	00						
		2.अनुसूचित जनजाति	05	00	1	00				
	प्रशिक्षण अधिकारी	3.अनुसूचित जाति	02	00]					
8	प्राशक्षण आधकारा (सर्वे यर)	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	01	00	00		00	01	00	
	(((44)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	01	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	00						
		योग :-	18	00	00	00	00	01	00	
		1.अनारक्षित	01	00						
		2.अनुसूचित जनजाति 3.अनुसूचित जाति	01	00					00	
	प्रशिक्षण अधिकारी	4. अत्यन्त पिछडा वर्ग	00	00		00	00	00		
9	(मैकेनिक ट्रेक्टर)	(अनु—I)	00	00	00			00		
	(147) 147 & 400)	5. पिछड़ा वर्ग (अन्–II)	00	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				8		
		योग :	02	00	00	00	00	00	00	
		1.अनारक्षित	08	00						
		2.अनुसूचित जनजाति	05	00	1					
		3.अनुसूचित जाति	03	00	1					
10	प्रशिक्षण अधिकारी	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	01	00	00	01	00	00	00	
10	(प्लम्बर)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	01	00						
			* *********	0.0000						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00						
		योग :	20	00	00	01	00	00	00	
		1.अनारक्षित	02	00						
	प्रशिक्षण अधिकारी	2.अनुसूचित जनजाति	01	00						
	(रेफीजरेशन	3.अनुसूचित जाति	00	00	00	00	00	00	00	
11	एण्ड एयर	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	01	00		00	00	00	00	
	कंडिशनर टेकनीशियन)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	00	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00						
		योग :-	04	00	00	00	00	00	00	
12	प्रशिक्षण अधिकारी	1.अनारक्षित	80	00	00	01	00	00	00	

			3			पदों की सं	ख्या		
					कुर	ल रिक्ति के	अधीन क्षैति	ज आरक्षण	
_						Ī		गता आरक्षण	
क्र _॰ सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्त ता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एतं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(मशिनिष्ट)	2.अनुसूचित जनजाति	05	00					
		3.अनुसूचित जाति	02	00					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	02	00					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	01	00					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00					
		योग :	20	00	00	01	00	00	00
		1.अनारक्षित	04	00					
		2.अनुसूचित जनजाति	02	00]				
	-0-0	3.अनुसूचित जाति	01	00	0.0	00 00	00	00	
13	प्रशिक्षण अधिकारी (वायरमैन)	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	01	00	00		00	00	00
	(पायरमग)	 पिछड़ा वर्ग(अन्–II) 	01	00	1				
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	00	1				
		योग :	10	00	00	00	00	00	00
		1.अनारक्षित	01	00			00		00
		2.अनुसूचित जनजाति	01	00	1				
	प्रशिक्षण अधिकारी	3.अनुसूचित जाति	00	00	1				
14	(मशीनिष्ट	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अन्—I)	00	00	00	00		00	
	ग्राईन्डर)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	00	00	1				
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00					
		योग :	02	00	00	00	00	00	00
		1.अनारक्षित	10	01					
		2.अनुसूचित जनजाति	07	00	1				
		3.अनुसूचित जाति	02	00	1				
15	प्रशिक्षण अधिकारी (टर्नर)	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	02	00	01	01	00	00	00
	(C·It)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	02	00					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	00	1				
		योग :	26	01	01	01	00	00	00
		1.अनारक्षित	07	00					
		2.अनुसूचित जनजाति	04	00	1				
	प्रशिक्षण अधिकारी	3.अनुसूचित जाति	02	00					
16	(मेकैनिक मोटर	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	02	00	00	00	00	00	00
	व्हीकल)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	01	00	1				
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00	1				
		योग :	18	00	00	00	00	00	00
		1.अनारक्षित	03	00					
	प्रशिक्षण अधिकारी	2.अनुसूचित जनजाति	01	00	1	00 00			00
17	(ड्राफ्ट्समैन	3.अनुसूचित जाति	01	00	00 00		00	00	
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	01	00					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	00	00	1				

						पदों की सं	ख्या		
					कुर	न रिक्ति के	अधीन क्षैति	ज आरक्षण	
_	ia de la composición			-				गता आरक्षण	
क्र. सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण नि:शक्त ता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एनं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00					
		योग :	06	00	00	00	00	00	00
		1.अनारक्षित	03	00					
		2.अनुसूचित जनजाति	02	00	1				
	प्रशिक्षण अधिकारी	3.अनुसूचित जाति	00	00	1	*********	Towns No.	-0000000	100000000
18	(इन्फोमेशन	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अन्-I)	01	00	00	00	00	00	00
	टेक्नोलॉजी)	5. पिछड़ा वर्ग(अन्–II)	01	00	1				
	0	6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	00	-				
		योग :	08	00	00	00	00	00	00
	0	1.अनारक्षित	03	00			70.70		7070
		2.अनुसूचित जनजाति	03	00	1				
	प्रशिक्षण अधिकारी	3.अनुसूचित जाति	00	00	1		00	00	
19	(ड्राफ्ट्समैन	4.अत्यन्त पिछडा वर्ग(अन्-I)	00	00	00	00			00
10	मैकेनिकल)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु-II)	01	00	-				
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	00	1				
		योग :-	08	00	00	00	00	00	00
	9 0	1.अनारक्षित	05	00	00	00	00	00	00
		2.अनुसूचित जनजाति	03	00	-				
	प्रशिक्षण अधिकारी	3.अनुसूचित जाति	01	00	-				
20	(सिविंग टेक्नोलॉजी /	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	01	00	00	00	00	00	00
20	कटिंग एण्ड	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	01	00	-				
	टेलरिंग)	5. 14छड़ा वग(अनु— 11) 6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	150700	-				
		योग :-	0.0000	00	00	00	20	00	00
		1.अनारक्षित	12	00	00	00	00	00	00
		2 .अनुसूचित जनजाति	03 01	00	-				
	प्रशिक्षण अधिकारी	3.अनुसूचित जाति	01	00	1				
21	(बेसिक	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	01	00	00	00	00	00	00
	कॉस्मेटोलॉजी)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	00	00					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00					
		योग :	06	00	00	00	00	00	00
		1.अनारक्षित	10	01					
	_ ~ -	2.अनुसूचित जनजाति	06	00	-			-	
00	प्रशिक्षण अधिकारी (फैशन डिजाईन	3.अनुसूचित जाति 4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	03	00	-				
22	एण्ड टेक्नोलॉजी)	5 . पिछड़ा वर्ग(अनू—II)	01	00	00	01	00	00	00
	, 5 5 1 11(11-11)	6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00	1				
		योग :-	24	01	00	01	00	00	00
	प्रशिक्षण अधिकारी	1.अनारक्षित	03	00					
23	(फ्रांट ऑफिस	2.अनुसूचित जनजाति	01	00	100000000000000000000000000000000000000	6.72	20,000	6g,recre	95,000.00
	असिस्टेन्ट)	3.अनुसूचित जाति 4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अन्–I)	01	00	00	00	00	00	00
		4.अत्यन्त ।पछड़ा वग(अनु—1)	01	00		1,000,000			

						पदों की सं	ख्या					
					कुर	न रिक्ति के	अधीन क्षैति	ज आरक्षण				
_	3					Ī	दिव्यां	गता आरक्षण				
क्र _॰ सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्त ता	चलन नि:शक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	00	00								
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00								
		योग :	06	00	00	00	00	00	00			
		1.अनारक्षित	01	00								
	प्रशिक्षण अधिकारी	2.अनुसूचित जनजाति	01	00								
24	प्राराक्षण आधकारा (शीटमेटल	3.अनुसूचित जाति	00	00	00	00	00	00	00			
24	(साटनटल वर्कर)	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	00	00	00	00	00	00	00			
	(4474)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	00	00								
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00								
		योग :-	02	00	00	00	00	00	00			
	प्रशिक्षण अधिकारी	1.अनारक्षित	02	00								
	[कम्प्यूटर	2.अनुसूचित जनजाति	02	00								
25	ऑपरेटर-सह-	3.अनुसूचित जाति	00	00								
	प्रोग्रामिंग्	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	01	00	00	00	00	00	00			
	असिस्टेन्ट(कोपा)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	00	00								
]	6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	00								
		योग :	06	00	00	00	00	00	00			
		1.अनारक्षित	03	00								
		2.अनुसूचित जनजाति	01	00	1				00			
		3.अनुसूचित जाति	01	00	1		00	00				
26	प्रशिक्षण अधिकारी	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अन्-I)	01	00	00	00						
	(कारपेन्टर)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	00	00	1							
	0	6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	1							
		योग :	06	00	00	00	00	00	00			
		1.अनारक्षित	03	00								
		2.अनुसूचित जनजाति	02	00	1							
	प्रशिक्षण अधिकारी	3.अनुसूचित जाति	01	00	1							
27	(मॉल्डर /	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	00	00	00	00	00	00	00			
	फॉउन्ड्रीमैन)	5. पिछड़ा वर्ग(अन्–II)	01	00	1							
	5	6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	00	1							
		योग :-	08	00	00	00	00	00	00			
		1.अनारक्षित	01	00				- 50				
		2.अनुसूचित जनजाति	01	00	1							
	प्रशिक्षण अधिकारी	3.अनुसूचित जाति	00	00	1							
28	(एग्रोप्रोसेसिंग)	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	00	00	00	00	00	00	00			
	(\$4.4.3131)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	00	00	1							
	,	6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	1							
		योग :-	02	00	00	00	00	00	00			
	70 Na 100 Na	1.अनारक्षित	04	00	- 00	- 00	- 00	- 00	00			
9	प्रशिक्षण अधिकारी	2.अनुसूचित जनजाति	02	00	1							
	[सोलर	3.अनुसूचित जाति	01	00	00	00	00	00	00			
	टेक्नीशियन	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	01	00	1 00	00	00	00				
		4.जरवरा ।पळड़ा पग(अनु—1)	UI	00								

						पदों की सं	ख्या			
					कर		The second	तेज आरक्षण		
	8			-		T		गता आरक्षण		
क्र॰ सं•	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	ादव्या बहरापन एवं श्रवण निःशक्त ता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	(इलेक्ट्रीकल)]	5. पिछड़ा वर्ग(अनु— II)	00	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00						
		योग :-	80	00	00	00	00	00	00	
		1.अनारक्षित	04	00						
	प्रशिक्षण अधिकारी	2.अनुसूचित जनजाति	02	00						
30	[मेशन (बिल्डिंग	3.अनुसूचित जाति	01	00						
	कन्सट्रक्टर)]	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	01	00	00	00	00	00	00	
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु— II)	00	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	1					
		योग :	80	00	00	00	00	00	00	
	प्रशिक्षण अधिकारी	1.अनारक्षित	03	00						
	(मेकेनिक	2.अनुसूचित जनजाति	01	00						
31	कन्ज्यूमर	3.अनुसूचित जाति	01	00						
	इलेक्ट्रोनिक्स	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	01	00	00	00	00	00	00	
	अप्लायेन्सेज)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु— II)	00	00	1					
		6.आर्थिक रूप से कमजीर वर्ग	00	00	1					
		योग :	06	00	00	00	00	00	00	
		1.अनारक्षित	01	00						
	प्रशिक्षण अधिकारी	2.अनुसूचित जनजाति	01	00						
32	(स्मार्टफोन कम	3.अनुसूचित जाति	00	00						
	एप टेस्टर)	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	00	00	00	00	00	00	00	
	1 A-1	5. पिछड़ा वर्ग(अनु— II)	00	00	1					
		6.आर्थिक रूप से कमजीर वर्ग	00	00						
		योग :	02	00	00	00	00	00	00	
	प्रशिक्षण अधिकारी	1.अनारक्षित	01	00						
	(विविंग	2.अनुसूचित जनजाति	01	00						
	टेक्नीशियन फॉर	3.अनुसूचित जाति	00	00						
33	सिल्क एण्ड	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	00	00	00	00	00	00	00	
	वुलन फेब्रीकस)	5. पिछड़ा वर्ग(अन्— II)	00	00	1					
	9 5	6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	1					
		योग :	02	00	00	00	00	00	00	
	0 0 0	1.अनारक्षित	01	00						
	प्रशिक्षण अधिकारी	2.अनुसूचित जनजाति	01	00]					
34	(फ्रुट्स एण्ड	3.अनुसूचित जाति	00	00						
	वेजिटेबल प्रोसेसिंग)	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	00	00	00	00	00	00	00	
	प्रासासग)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु— II)	00	00						
	1	6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	1					
		योग :-	02	00	00	00	00	00	00	
	प्रशिक्षण अधिकारी	1.अनारक्षित	02	00						
35	(फिजियोथेरेपी	2.अनुसूचित जनजाति	01	00						
	टेक्नीशियन) 3. 4.	3.अनुसूचित जाति	00	00)	00	00	00	00	
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	01	00	00					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु— II)	00	00						

						पदों की सं	ख्या			
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण						
क्र.			कुल			दिव्यांगता आरक्षण				
सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि		महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्त ता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00						
		योग :	04	00	00	00	00	00	00	
		1.अनारक्षित	03	00						
	प्रशिक्षण अधिकारी	2.अनुसूचित जनजाति	01	00						
36	(मेकानिक 2 &	3.अनुसूचित जाति	01	00						
	3 व्हीलर)	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	01	00	00	00	00	00	00	
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु— II)	00	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजीर वर्ग	00	00						
		योग :	06	00	00	00	00	00	00	
	प्रशिक्षण	1.अनारक्षित	01	00						
	अधिकारी	2.अनुसूचित जनजाति	01	00						
37	(लिफ्ट एण्ड	3.अनुसूचित जाति	00	00						
	एस्केलेटर	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	00	00	00	00	00	00	00	
	मेकेनिक)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु— II)	00	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	1					
		योग :	02	00	00	00	00	00	00	

(ii) कोटिवार रिक्तियों की संख्या (आरक्षण रोस्टर सहित) अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है।

- 5. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें की वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमित पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों के पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच करेगा।
 - 6. कंडिका- 4 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता निम्नवत् है:--

क्र		\	शैक्षणिक योग्यता
सं	पदनाम	वेतनमान	(जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है)
1	प्रशिक्षण अधिकारी (ड्राईंग)	वेतनमान (पुनरीक्षित)– Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	1. इंजीनियरिंग ड्राईंग के अन्तर्गत वर्गीकृत किसी भी इलेक्ट्रीकल ग्रुप(Gr-II) / मैकेनिकल(Gr-I) / ड्राफ्टसमैन (मैकेनिकल / सिविल) में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। या AICTE / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषयमें दो वर्षीय अनुभव। या AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग केंलेज / विश्वविद्यालयसे इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in relevant trade.
2	प्रशिक्षण अधिकारी (गणित)	वेतनमान (पुनरीक्षित)— Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	NCIC in RoDA/Draftsman (Mech/Civil) or any of its variants under DGT. 1. इंजीनियरिंग के किसी भी व्यवसाय में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। या AICTE/ मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग मे तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव। या AICTE/ UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालयसे इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in relevant trade. Or NCIC in RoDA or any of its variants under DGT.
3		वेतनमान (पुनरीक्षित)—	1. AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग

क्र	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
सं	प्रशिक्षण अधिकारी	Level-6 (35400-112400)	(जैसा सेवाशर्त्त नियमावती में विहित है) कॉलेज/विश्वविद्यालयसे इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रीकल एण्ड
	(विद्युत)	रोवा रागूह 'ख' (अराजपत्रित)	इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। *** **AICTE / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रीकल / इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रीनिक्स इंजीनियरिंग से तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव। *** **Eलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Variants under DGT.
4	प्रशिक्षण अधिकारी (फिटर)	वेतनमान (पुनरीक्षित)— Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॅलंज /विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव । या AICTE / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव । या फिटर व्यवसाय में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव । 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Variants under DGT.
5	प्रशिक्षण अधिकारी (मैकेनिक जेनेरल इलेक्ट्रोनिक्स/इलेक्ट्रोनि क्स मेकेनिक)	वेतनमान (पुनरीक्षित)— Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रोनिक्स / इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान

क्र	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
स		33.2.1.1.	(जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है) से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव।
			या
			AICTE/ मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रोनिक्स/
			इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड
			कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT
			अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल)
			उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो
			वर्षीय अनुभव।
			या ।
			इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक (भूतपूर्व मेकैनिक जेनेरल इलेक्ट्रोनिक्स)
			व्यवसाय में एन०टी०सी०/एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य
			सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान
			से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। 2. अगिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants
			of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in
			any of the Variants under DGT.
6	प्रशिक्षण अधिकारी (वेल्डर)	वेतनमान (पुनरीक्षित)— Level-6 (35400-112400) रोवा रागूह 'ख' (अराजपत्रित)	1.AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से मेकैनिकल / मेटलर्जी / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग / मेकाट्रोनिक्स में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या AICTE/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मेकैनिकल एवं एलाईड मे तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव। या वेल्डर व्यवसाय में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Variants under DGT.
			1. AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से ऑटोमोबील / मेकैनिकल इंजीनियरिंग
	2 2 2	वेतनमान (पुनरीक्षित)–	(ऑटोमोबील में विशेषज्ञता) में डिग्री/B.voc उत्तीर्ण एवं
7	प्रशिक्षण अधिकारी (मैकेनिक डीजल)	Level-6 (35400-112400)	केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त
	(नकानक बाजल)	सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव।
			या

क्र सं	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है)
			AICTE/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से ऑटोमोबील / मेकैनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबील में विशेषज्ञता) से तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव। या मैकेनिक डीजल व्यवसाय में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Variants under DGT. Must possess valid LMV driving Licence.
8	प्रशिक्षण अधिकारी (सर्वे यर)	वेतनमान (पुनरीक्षित)— Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से सर्वेय इंजीनियरिंग / सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या AICTE / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सर्वेय इंजीनियंरिंग / सिविल इंजीनियंरिंग से तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव। या सर्वेयर व्यवसाय में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Variants under DGT.
9	प्रशिक्षण अधिकारी (मेकैनिक ट्रेक्टर)	वेत्तनमान (पुनरीक्षित)— Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग / ऑटोमोबील / मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबील में विशेशज्ञता) में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या AICTE / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग / ऑटोमोबील / मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबील में विशेषज्ञता) से तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त

क्र		}	शैक्षणिक योग्यता
सं	पदनाम	वेतनमान	(जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है)
			संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठानसे संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय
			अनुभव।
			या मैकेनिक ट्रेक्टर / मैकेनिक एग्रीकल्चरल मशीनरी व्यवसाय में
			एन०टी०सी०/एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार
			द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से
			संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव।
			2. अनिवार्य योग्यता :- Relevant Regular/RPL variants
			of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in
			any of the Variants under DGT.
			1. AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग
			कॉलेज/विश्वविद्यालय से सिविल/मैकेनिकल ब्रांच से
			डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा
			मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित
			क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव।
			या
			AICTE/ मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से
			सिविल/मैकेनिकल ब्रांच से तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT
			अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल)
		वेतनमान (पुनरीक्षित)–	उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त
10	प्रशिक्षण अधिकारी	Level-6 (35400-112400)	संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषयमें दो वर्षीय
	(प्लम्बर)	सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	अनुभव।
			या
			प्लम्बर व्यवसाय में एन०टी०सी०/एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं
			केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त
			संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन
			वर्षीय अनुभव।
			2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants
			of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in
			any of the Variants under DGT.
		I .	1. AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग
			कॉलेज/विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री/
			कॉलेज / विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन
			कॉलेज / विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में
			कॉलेज /विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव।
		वेतनमान (पुनरीक्षित)–	कॉलेज /विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या
11	प्रशिक्षण अधिकारी विभीनने पान गण्ड गण्ड	17.50=	कॉलेज /विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या AICTE/ मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड मेकैनिकल
11	प्रशिक्षण अधिकारी (रेफ्रीजेरेशन एण्ड एयर कंडिशनर टेक्नीशियन)	Level-6 (35400-112400)	कॉलेज /विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या
11	(रेफ्रीजेरेशन एण्ड एयर	17.50=	कॉलेज /विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या AICTE / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड मेकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त
11	(रेफ्रीजेरेशन एण्ड एयर	Level-6 (35400-112400)	कॉलेज /विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या AICTE / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड मेकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो
11	(रेफ्रीजेरेशन एण्ड एयर	Level-6 (35400-112400)	कॉलेज / विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या AICTE / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड मेकैनिकल इंजीनियरिंग मे तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव।
11	(रेफ्रीजेरेशन एण्ड एयर	Level-6 (35400-112400)	कॉलेज / विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या AICTE / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड मेकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव। या
11	(रेफ्रीजेरेशन एण्ड एयर	Level-6 (35400-112400)	कॉलेज / विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या AICTE / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड मेकैनिकल इंजीनियरिंग मे तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव।

क्र सं	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है)
			द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव।
			2. अनिवार्य योग्यता :- Relevant Regular/RPL
			Variants of National Craft instructor Certificate
			(NCIC) in any of the variants under DGT.
12	प्रशिक्षण अधिकारी (मशीनिष्ट)	वेतनमान (पुनरीक्षित)– Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव ।
			2. अनिवार्य योग्यता :- Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in
13	प्रशिक्षण अधिकारी (वायरमैन)	वेतनमान (पुनरीक्षित)— Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	any of the Variants under DGT. 1. AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलंज / विश्वविद्यालयसे इलेक्ट्रीकल / इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रीनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या AICTE / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रीकल / इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रीनिक्स इंजीनियरिंग से तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठानसे संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव। या वायरमैन व्यवसाय में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तो न

क्र	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
सं	343113		(जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है) वर्षीय अनुभव।
			2. अनिवार्य योग्यता :- Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Variants under DGT.
14	प्रशिक्षण अधिकारी (मशीनिष्ट ग्राईन्डर)	वेतनमान (पुनरीक्षित)– Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालयसे मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या AICTE / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव। या मशिनिष्ट ग्राईन्डर व्यवसाय में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants
			of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Variants under DGT.
15	प्रशिक्षण अधिकारी (टर्नर)	वेतनमान (पुनरीक्षित)— Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालयसे मेकैनिकल ब्रान्च में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या AICTE/ मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड मेकैनिकल ब्रान्च मे तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव। या टर्नर व्यवसाय में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in

क्र सं	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है)
			any of the Variants under DGT.
16	प्रशिक्षण अधिकारी (मेकैनिक मोटर व्हीकल)	चेतानमान (पुनरीक्षित)— Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालयसे ऑटोमोबील मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता संबंधन प्राप्त संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव।
17	प्रशिक्षण अधिकारी (ड्राफ्ट्समैन सिविल)	वेतनमान (पुनरीक्षित)— Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलंज / विश्वविद्यालयसे सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव ।

क्र सं	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है)
			1. आई०टी० / आई०सी०टी०एस०एम० व्यवसाय में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार
18	प्रशिक्षण अधिकारी (इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी)	वेतनमान (पुनरीक्षित)– Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। या AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालयसे कम्प्यूटर साईन्स/आई॰टी॰ से इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी में डिग्री/B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्ष का अनुभव। या AICTE/UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसे कम्प्यूटर साईन्स/ कम्प्यूटर अप्लीकेशन/आई॰टी॰ से स्नातकोत्तर या NIELIT B LEVEL उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्ष का अनुभव। या AICTE/UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसे कम्प्यूटर साईन्स/कम्प्यूटर अप्लीकेशन/आई॰टी॰ में स्नातक या NIELIT A LEVEL या PGDCA उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्ष का अनुभव। या AICTE/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से कम्प्यूटर साईन्स/आई॰टी॰ में तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसइ डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संबंधित व्यवसाय में एडवांसइ डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्ष का अनुभव। 2. अनिवार्य योग्यता:— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Variants under DGT.
	प्रशिक्षण अधिकारी	वेतनमान (पुनरीक्षित)—	AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालयसे मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री/B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषयमें एक वर्षीय अनुभव।
19	प्रांशक्षण अधिकारा (ड्राफ्ट्समैन मेकैनिकल)	Level-6 (35400-112400) रोवा रागूह 'ख' (अराजपत्रित)	AICTE/ मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान सेसंबंधित क्षेत्र या विषयमें दो वर्षीय अनुभव।
			था ड्रापट्समैन मेकैनिकल व्यवसाय में एन०टी०सी०/एन०ए०सी० उत्तीर्ण

क्र सं	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है)
, a			एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Variants under DGT.
20	प्रशिक्षण अधिकारी (सिविंग टेक्नॉलोजी / कटिंग एण्ड टेलरिंग)	वेतनमान (पुनरीक्षित)– Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	UGC मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालयसे फैशन एण्ड अपेरल टेक्नोलॉजी में डिग्री/B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/ संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव।
21	प्रशिक्षण अधिकारी (बेसिक कॉस्मेटोलॉजी)	वेतनमान (पुनरीक्षित)– Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	1. UGC मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषयमें दो वर्षीय अनुभव । या मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से ब्यूटी कल्चर / कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा (न्यूनतम दो वर्शीय) या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसाड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव । या हेयर एण्ड स्कीन केयर / कॉस्मेटोलॉजी व्यवसाय में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषयमें तीन वर्षीय अनुभव । 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Variants under DGT.
22	प्रशिक्षण अधिकारी (फैशन टेक्नोलॉजी/फैशन डिजाईन एण्ड टेक्नोलॉजी)	वेतनमान (पुनरीक्षित)– Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसे फैशन डिजाईनिंग / टेक्नोलॉजी में B.voc / डिग्री (चार वर्षीय) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव।

क्र	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
सं			(जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है) या
			मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसे फैशन डिजाईनिंग/टेक्नोलॉर्जी में
			B.voc/डिग्री (तीन वर्षीय) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार
			द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से
			संबंधित क्षेत्र या विषयमें दो वर्षीय अनुभव।
			या
			मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से फैशन
			डिजाईनिंग / टेक्नोलॉजी / CDDM में डिग्री (तीन वर्षीय)
			डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एड्वांसड्
			डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा
			मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित
			क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव।
			या फैशन डिजाईन एण्ड टेक्नोलॉजी (फैशन टेक्नोलॉजी)व्यवसाय
			में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार
			द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से
			संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव।
			2. अनिवार्य योग्यता :- Relevant Regular/RPL variants
			of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any
			of the Variants under DGT.
			1. UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसे कॉमर्स/हॉटेल
			मैनेजमेन्ट/कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री/ B.voc उत्तीर्ण एवं
			केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक
			वर्षीय अनुभव।
			या
			मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से हॉटेल मैनेजमेन्ट/कैटरिंग
		वेतनमान (पुनरीक्षित)—	टेक्नोलॉजी / कॉमर्सियल प्रैक्टिस से डिप्लोमा (न्यूनतक दो
23	प्रशिक्षण अधिकारी	Level-6 (35400-112400)	वर्शीय) या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एड्वांसड्
	(फंट ऑफिस असिस्टेन्ट)		डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा
		सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित
			क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव। या
			फंट ऑफिस असिस्टेन्ट व्यवसाय में एन०टी०सी०/ एन०ए०सी०
			उत्तीर्ण एवं संबंधित क्षेत्र में तीन वर्षीय अनुभव।
			2. अनिवार्य योग्यता :- Relevant Regular/RPL variants
			of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any
			of the Variants under DGT.
			AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालयसे मेकैनिकल / मेटलर्जी / प्रोडक्शन
			इंजीनियरिंग / मेकाट्रोनिक्स में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं
			केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त
	0 0 0	वेतनमान (पुनरीक्षित)–	संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक
24	प्रशिक्षण अधिकारी (शीटमेटल वर्कर)	Level-6 (35400-112400)	वर्षीय अनुभव।
	(साठनटल पकर)	सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	या
			AICTE/ मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मेकैनिकल एवं
			एलाईड में तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित
			व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं
			केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त

क्र	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है)
सं			संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव। या शीटमेटल वर्कर में व्यवसाय में एन०टी०सी०/एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। 2. अनिवार्थ योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Variants under DGT. 1. कोपा व्यवसाय में एन०टी०सी०/एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं
25	प्रशिक्षण अधिकारी (कोपा)	वेतनमान (पुनरीक्षित)– Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। या AICTE/UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईन्स/आई॰टी॰ में डिग्री/ B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्ष का अनुभव। या UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसे कम्प्यूटर साईन्स/कम्प्यूटर अप्लीकेशन/आई॰टी॰ से स्नातकोत्तर या NIELIT B LEVEL उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषयमें एक वर्ष का अनुभव। या UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसे कम्प्यूटर साईन्स/कम्प्यूटर अप्लीकेशन/आई॰टी॰ से स्नातक/PGDCA या NIELIT A LEVEL उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्ष का अनुभव। या मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से कम्प्यूटर साईन्स/आई॰टी॰ में तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांस्ड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्ष का अनुभव। 2. अनिवार्य योग्यता:— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Variants under DGT.
26	प्रशिक्षण अधिकारी (कारपेन्टर)	वेतनगान (पुनरीक्षित)– Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से सिविल / मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / B.voc उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या

क्र सं	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है)
			AICTE/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सिविल/मेकैनिकल इंजीनियरिंग से तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषयमें दो वर्षीय अनुभव। या कारपेन्टर व्यवसाय में एन०टी०सी०/एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता/संबंधन प्राप्त संस्थान/उपक्रम/प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Variants under DGT.
27	प्रशिक्षण अधिकारी (मोल्डर / फॉउन्ड्रीमैन)	वेतनमान (पुनरीक्षित)– Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	1. AICTE/UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से मेकैनिकल / मेटलर्जी इंजीनियरिंग में डिग्री / एडवांस्ड डिप्लोमा इन फॉउन्ट्री टेक्नोलॉजी में उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में एक वर्षीय अनुभव। या AICTE/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मेकैनिकल / मेटलर्जी इंजीनियरिंग से तीन वर्षीय डिप्लोमा या DGT अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांसड डिप्लोमा (वोकेशनल) उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में दो वर्षीय अनुभव। या मोल्डर / फॉउन्ट्रीमैन व्यवसाय में एन०टी०सी० / एन०ए०सी० उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता / संबंधन प्राप्त संस्थान / उपक्रम / प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में तीन वर्षीय अनुभव। 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular/RPL variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) under DGT.
28	प्रशिक्षण अधिकारी (एग्रोग्रोसेसिंग)	वेत्तनमान (पुनरीक्षित)— Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	1. B.Voc/ Degree in Food Technology from UGC recognized university/college with one year experience in relevant industry. या Diploma (Minimum 2 years) in Food Technology from recognized board or relevant Advanced Diploma (Vocational) from DGT With two years experience in relevant industry. या NTC/NAC passed in the trade of "Agro processing" with three years experience in relevant field. 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular / RPL

<u>क्र</u>	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
सं			(जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है) Variants of National Craft Instructor Certificate
			(NCIC) under DGT.
29	प्रशिक्षण अधिकारी सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रीकल)	वेतनमान (पुनरीक्षित)— Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	1. B.Voc/ Degree in Electrical/Electrical and Electronics Engineering from AICTE/UGC recognized university/college with one year experience in relevant field. The Diploma (Minimum 3 years) in Electrical/Electrical and Electronics Engineering from AICTE/ recognized board of technical education or relevant Advanced Diploma (Vocational) from DGT With two years experience in relevant field. The NTC/NAC passed in the trade of "Solar Technician (Electrical)" with three years experience in relevant field.
			2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular / RPL Variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) under DGT.
30	प्रशिक्षण अधिकारी मेशन (बिल्डिंग कन्सट्रक्टर)	वेतनमान (पुनरीक्षित)– Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	1. B.Voc/ Degree in Civil Engineering from AICTE/UGC recognized university/college with one year experience in relevant field. या Diploma (Minimum 3 years) in Civil Engineering from AICTE/ recognized board of technical education or relevant Advanced Diploma (Vocational) from DGT With two years experience in relevant field. या NTC/NAC passed in the trade of Mason (Building Constructor) with three years experience in relevant field. 2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular / RPL Variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) under DGT.
31	प्रशिक्षण अधिकारी (मेकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स अप्लायेन्सेज)	वेतनमान (पुनरीक्षित)– Level-6 (35400-112400) रोवा रागूह 'ख' (अराजपत्रित)	1. B.Voc / Degree in Electronics/Electronics and Telecommunication/Electronics and Communication Engineering from AICTE/UGC recognized university/college with one year experience in relevant field. या Diploma (Minimum 3 years) in Electronics/ Electronics and Telecommunication/Electronics and Communication from AICTE/ recognized board of technical education or relevant

क्र	112 ''''		शैक्षणिक योग्यता
सं	पदनाम	वेतनमान	(जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है)
			Advanced Diploma (Vocational) from DGT With
			two years experience in relevant field.
			या
			NTC/NAC passed in the trade of "Mechanic
			Consumer Electronic Appliances" with three
			years experience in relevant field.
			2. अनिवार्य योग्यता :- Relevant Regular / RPL
			Variants of National Craft Instructor Certificate
			(NCIC) under DGT.
			1. B.Voc / Degree in Electronics/ Electronics and
			Telecommunication/Electronics and
			Communication Engineering from AICTE/UGC
			recognized university/college with one year
			experience in relevant field.
			या
			Diploma (Minimum 3 years) in Electronics/
		वेतनमान (पुनरीक्षित)–	Electronics and Telecommunication/Electronics
20.00	प्रशिक्षण अधिकारी		and Communication from AICTE/ recognized
32	(स्मार्टफोन कम एप टेस्टर)	Level-6 (35400-112400)	board of technical education or relevant
	C 4C()	सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	Advanced Diploma (Vocational) from DGT With
			two years experience in relevant field.
			NTC/NAC passed in the trade of "Smartphone
			Technician cum App Tester" with three years
			experience in relevant field.
			2. अनिवार्य योग्यता :- Relevant Regular / RPL
			Variants of National Craft Instructor Certificate
			(NCIC) under DGT.
			1. B.Voc / Degree in Textile/Weaving from UGC
			recognized university with one year experience in
			relevant field.
			या
			Diploma (Minimum 2 years) in Textile/Weaving
			from a recognized board of education or relevant
	प्रशिक्षण अधिकारी	वेतनमान (पुनरीक्षित)—	Advanced Diploma (Vocational) from DGT With
33	(विविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एण्ड वुलन	Level-6 (35400-112400)	two years experience in relevant field.
	फार सिल्क एण्ड युलन फेब्रीकस)	सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	या
		(NTC/NAC passed in the "Weaving Technician
			for Silk & Woolen Fabrics" trade with three years
			experience in relevant field.
			2. अनिवार्य योग्यता :- Relevant Regular / RPL
			Variants of National Craft Instructor Certificate
			(NCIC) under DGT.
	प्रशिक्षण अधिकारी	वेतनमान (पुनरीक्षित)–	1. B.Voc / Degree in Food Technology or Post
34	(फ्रुट्स एण्ड वेजिटेबल	Level-6 (35400-112400)	Harvest Management from UGC recognized
	प्रोसेसिंग)	सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	university/college with one year experience in

क्र	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
सं	14.114	903311	(जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है)
			relevant field.
			या
			Diploma (Minimum 2 years) in Food Technology
			or Post Harvest Management from recognized
			board or relevant Advanced Diploma
			(Vocational) from DGT With two years
			experience in relevant field.
			NTC/NAC passed in the Trade of "Fruits and
			Vegetables Processing" trade with three years
			experience in relevant field.
			2. अनिवार्य योग्यता :- Relevant Regular / RPL
			Variants of National Craft Instructor Certificate
			(NCIC) under DGT.
			1. B.Voc / Degree in Physiotherapy from UGC
			recognized university/board with one year
			experience in relevant field.
			Diploma (Minimum 2 years) in Physiotherapy
			from a recognized university/board of education
	0 0 0	वेतनमान (पुनरीक्षित)–	or relevant Advanced Diploma (Vocational) from
25	प्रशिक्षण अधिकारी (फिजियोथेरेपी		DGT With two years experience in relevant field.
35	(क्राजयावस्पा टेक्नीशियन)	Level-6 (35400-112400)	DG1 with two years experience in relevant field.
	८ क्नाशियन)	सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	NTC/NAC passed in the Trade of "Physiotherapy
			Technician" with three years experience in
			relevant field.
			2. अनिवार्य योग्यता :- Relevant Regular / RPL
			Variants of National Craft Instructor Certificate
			(NCIC) under DGT.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1. B.Voc / Degree in Automobile/Mechanical
			Engineering (with specialization in Automobile)
			from AICTE/UGC recognized Engineering
			College/ university with one year experience in
			relevant field.
			या
			Diploma (Minimum 3 years) in Automobile
	प्रशिक्षण अधिकारी	वेतनमान (पुनरीक्षित)–	/Mechanical Engineering (with specialization in
36	प्राशक्षण आधकारा (मेकानिक 2 & 3	Level-6 (35400-112400)	Automobile) from AICTE/ recognized board of
1,500	व्हीलर)	सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	technical education or relevant Advanced
		an arge of (ortolarad)	Diploma (Vocational) from DGT With two years
			experience in relevant field.
			या
			NTC/NAC passed in the Trade of "Mechanic
			Two & Three Wheeler" with three years
			experience in relevant field.
			2. अनिवार्य योग्यता :- Relevant Regular / RPL

क्र सं	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (जैसा सेवाशर्त्त नियमावली में विहित है)
	पदनाम प्रशिक्षण अधिकारी (लिफ्ट एण्ड एस्केलेटर मेकेनिक)	वेतनमान वेतनमान (पुनरीक्षित)— Level-6 (35400-112400) सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	(जैसा सेवाशर्त नियमावली में विहित है) Variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) under DGT. 1. B.Voc / Degree in Electrical/ Electrical and Electronics Engineering from AICTE/UGC recognized Engineering College/ university with one year experience in relevant field. या Diploma (Minimum 3 years) in Electrical/ Electrical and Electronics Engineering from AICTE/ recognized board of technical education or relevant Advanced Diploma (Vocational) from DGT With two years experience in relevant field. या NTC/NAC passed in the Trade of "Lift and Escalator Mechanic" with three years experience in relevant field.
			2. अनिवार्य योग्यता :— Relevant Regular / RPL Variants of National Craft Instructor Certificate (NCIC) under DGT.

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

- (i). अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उतीर्ण होना अनिवार्य होगा, अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।
- (ii). खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या—1709, दिनांक—12.09.2007 द्वारा श्रेणी—'ख' के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :—

क्र०सं०	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
2	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेंडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
3	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

नोट:- उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 आयोग के वेबसाईट www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है।

7. आयु सीमा:—कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक—1673, दिनांक—20.03.2023 के आलोक में उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जायेगी:—

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि	अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि
1	2	3	4
1	प्रशिक्षण अधिकारी	01.08.2023	01.08.2019

- (क) न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष
- (ख) अधिकतम उम्र सीमा:—(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या—609, दिनांक—25.01.2016 एवं संकल्प संख्या—29 दिनांक—04.01.2021 द्वारा यथा संशोधित)

क्र०सं०	कोटि	अधिकतम आयु सीमा	निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए
1	अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	35 वर्ष	45 वर्ष
2	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 (पुरूष)	37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला [अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—2)]	38 वर्ष	48 वर्ष
4	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

- (ग) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 (दस) वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण—पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पर्षद से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट— X) में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्ततों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।
 - (i) विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र तथा सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
 - (ii) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
 - (घ) आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं

कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को निःशक्तता कोटि का आरक्षण देय नहीं होगा।

- (ङ) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण—पत्र यथासमय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (च) उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त ''ग'' या ''ङ'' में कोई एक ही मान्य होगा।

8. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा :--

इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राईब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी:-

- i. 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन निःशक्तता (दोनों हाथ प्रभावित) तथा सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों को ही उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निःशक्त कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट—XI) उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- ii. वैसे नि:शक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक / स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।
- iii. उपर्युक्त कंडिका—(i) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थियों द्वारा श्रुतलेखक / स्क्राइब की सुविधा संबंधी अनुरोध पत्र आयोग कार्यालय में परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले समर्पित किया जना अनिवार्य होगा।
- iv. उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित अनुदेशों का पालन नहीं करने पर आयोग द्वारा श्रतुलेखक / स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।
- 9. I. परीक्षा में बैठने की अनुमित पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपरिथत रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अविध अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
 - II. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक अर्हत्ता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर विवरणिका की कंडिकाओं में विहित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं।

10. आरक्षण:

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

10. (I) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक—4650, दिनांक—02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक—02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—VIII पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक—5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—IX पर धारित है।

- (ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ग) दिनांक—02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- (घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ङ) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (च) पिता / पित के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पित के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

11. जाति प्रमाण पत्र-

(क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—I पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02. 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—II पर धारित है।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10.05. 2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट— III पर धारित है।

(ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक—29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—IV पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक—1754 दिनांक—25.02.2019 के अधीन प्रपत्र—15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—V पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक—1754 दिनांक—25.02. 2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—VI पर धारित है।

- (ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी "आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र" प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (परिशिष्ट—VII) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र मान्य होगा।
- (घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र / आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा।
- (च) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

- (छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।
- (ज) शैक्षणिक कार्यों / सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र / आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- (ञ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाशा विभाग, झारखण्ड ,राँची के पत्रांक—235, दिनांक—10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- (ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा विवरिणका में निर्धारित विहित प्रपन्न से भिन्न प्रपन्न में निर्गत जाति प्रमाण पन्न/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पन्न/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारिक्षत कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारिक्षत कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारिक्षत कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

नोटः-

- (I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट—I से परिशिष्ट—IX, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उतरदायी होगे।
- (II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वधोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोशणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित आवदेक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्त्तनी (spelling)

- मैट्रिक / 10वीं के सर्टिफिकेट / अंक पत्र में दर्ज वर्त्तनी (spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (IV) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- 12. ऑनलाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:
 - आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शत्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।
 - (क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास उपलब्ध हैं।
 - (ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।
 - (ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।
 - (ii) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्त्तनी (Spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।
 - (iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा— तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।
- 13. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करना : ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें।
 - i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेवसाईट www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for JITOCE-2023 को Click करें तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें।
 - ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगईन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।

- iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग—ईन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें । आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12:00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉगईन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।
- iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः लॉगईन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।
- v) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।
- vi) ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचनाओं का सत्यापन नियम—7(ख) के अनुसार सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति से प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व निर्गत प्रमाण पत्रों से भिन्न प्रमाण पत्र देने पर इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।
- vii) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किये ये आवेदन को वैध माना जायेगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रदद् कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा।

14. आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन:-

दिनांक—28.07.2023 के 11.00 बजे पूर्वाहन् से दिनांक—30.07.2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई—मेल आई०डी० एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्ट को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग—1 (अनुसूची—1), पिछड़ा वर्ग—2 (अनुसूची—2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आव यक होगा। साथ ही क्षैतिज आरक्षण अंतर्गत द्विव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को द्विव्यांग श्रेणी से अलग कर दिए जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध करायी जायेगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। संशोधन की तिथि के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

- 15. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :- ऑनलाईन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नवत हैं:-
 - क) रिजस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक—23.06.2023 से 11.00 बजे पूर्वाहन् से दिनांक—22.07.2023 की मध्य रात्रि तक।
 - ख) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक-24.07.2023 की मध्य रात्रि तक।
 - ग) फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक—26.07.2023 की मध्य रात्रि तक।
 - घ) दिनांक—28.07.2023 के 11.00 बजे पूर्वाहन् से दिनांक—30.07.2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सिहत परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

16. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया:--

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने JITOCE-2023 Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

17. परीक्षा का स्वरूप :--

आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) ली जायेगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहो में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा। Normalisation का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित है। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा:—

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :-परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी।

18. प्रशिक्षण अधिकारी के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठयक्रम :-

लिखित परीक्षा (CBT MODE में) :— लिखित परीक्षा अन्तर्गत (03) तीन पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 02 (दो) घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जाएगी।

18.1 पत्र – 1 : विषय : (भाषा एवं सामान्य ज्ञान)

सामान्य ज्ञान :– (क) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान		30 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	<u>125—1</u> 67	10 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	5-14	10 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	-	10 प्रश्न
(ड़) कम्प्यूटर का ज्ञान	 8	10 प्रश्न
	-	Tarrier Carl

कुल प्रश्न – 120

नोट:— यह पत्र अर्हक (Qualifying) होगा एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जाएँगे। परीक्षा पाठ्यक्रम अनुसूची–1 पर दृष्टव्य है।

18.2 पत्र – 2 : विषय : (चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा ज्ञान)

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँडुख (उराँव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़ीया/संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के एक सौ (100) बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

नोट:— यह पत्र अर्हक (Qualifying) होगा एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जाएँगे। परीक्षा पाठ्यक्रम अनुसूची—2 पर द्रष्टव्य है।

18.3 पत्र - 3 : विषय : (तकनीकी ज्ञान)

इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 (एक सौ बीस) होंगी एवं इसका पाठ्यक्रम किसी व्यवसाय (Trades) विशेष के लिए वही होगा जो प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली (DGT, New Delhi) के वेबसाईट https://dgt.gov.in/cts_details पर उपलब्ध है (अनुसूची—3)।

टिप्पणी— पत्र—3 तकनीकी ज्ञान की परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक होगाः—

•	अनारक्षित	– ४० प्रतिशत
•	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	– ४० प्रतिशत
•	पिछड़ा वर्ग (अनु—II)	— ३६.५ प्रतिशत
•	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु—I)	— ३४ प्रतिशत
•	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला	– 32 प्रतिशत
•	आदिम जनजाति समूह	— ३० प्रतिशत

नोटः— पत्र 3 (तकनीकी ज्ञान) में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा व्यवसायवार मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा।

19. लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

- (i) प्रश्न पत्र 1 (भाषा एवं सामान्य ज्ञान) में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र 2 (चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा ज्ञान) में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों (प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2) में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होंगे। अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 (तकनीकी ज्ञान) के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा भिन्न-भिन्न व्यवसायों के प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।
- (ii) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (बराबर) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्त्तनी के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लए आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।
- (iii) मेधा सूची गठित करने के पश्चात् विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच की जायेगी। प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
- (iv) प्रारंभिक जाँच उपरान्त अधियाचना के अनुरूप सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों का मूल आवेदन पत्र एवं स्व—अभिप्रमाणित / हस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र आयोग द्वारा प्रशासी / अधियाची विभाग को भेजी जायेगी।
- (v) अनुशंसित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों की जाँचोपरांत संतुष्ट होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

20. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका—18 के आधार पर मेधा—सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् यथा संभव अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/ अहर्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरुद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण—पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

नोटः—आयोग द्वारा अनुशांसित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों की जाँचोपरांत संतुष्ट होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

21. नियुक्ति:-

- (i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय—समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची—1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

22. अन्यान्य:-

- 1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
- 2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 3. विवरणिका में प्रावधानित वांछित शैक्षणिक अहर्त्ता/स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/निःशक्तता प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्रों की भिन्नता तथा उक्त प्रपत्रों के अन्तर्गत वर्त्तनी में त्रुटि/अशुद्धि से संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी / उनके माता—पिता / अभिभावक द्वारा:-
 - (i) आवेदन प्रपन्न में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी करने.
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,

- (iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण—पत्रों / फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में, वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :--
 - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
 - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी / उनके माता—पिता / अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
- 5. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :--
 - (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
 - (iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।
 - (iv) आवेदन समर्पित करने की पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं करना।
 - (v) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
 - (vi) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
 - (vii) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।
 - (viii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
 - (ix) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
 - (x) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।

- (xi) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
- (xii) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपन्न में 500 (पाँच सौ रूपये) शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xiii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल / कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रदद करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रदद होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (xiv) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमित नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमित नहीं होगी।
- (xv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच ले ताकि कोई त्रूटि न रह जाये।
- (xvi) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvii) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रदद कर दी जाऐगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xviii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में फोटो / हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

- (xix) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।
- (xx) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेगें। इन कागजातों की आवश्यकता भविष्य में हो सकती है। प्रमाण पत्रों के जाँच के समय इन्हें अनिवार्यतः जमा करना होगा।
- (xxi) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के स्वरूप / कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (xxii) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखे प्रमाण-पत्रों के जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

ह०/-परीक्षा नियंत्रक।

<u>परिशिष्ट—(I)</u>

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 7/जा.नि. —19—11/2008 का.—5682 दिनांक— 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरक	गर
(कार्यालय का न	······ ाम)
जाति प्रमाण–प (सभी कार्यों के ति	
संख्या	নিখি:–
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	
पुत्र / पुत्री / पत्नी, श्री f	नेवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
डाकघर थाना जिला	। राज्य
अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्त	र्गत जाति/उप जाति
के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित	जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में
मान्यता प्राप्त है।	
2. श्री / श्रीमती / कुमारी एवं / अथ	ावा उनका/उनकी परिवार साधारणतः
गांव/कस्बा, शहर,	जिलामं
निवास करते हैं।	
स्थान :-	सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नाम
दिनांक :	पदनाम
(कार्यालय की मुहर) (नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।) 1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा—23 एवं अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आ संशोधन आदेश 1950 2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशो	देश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति)

परिशिष्ट-(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजमाषा विमाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/जा॰नि。—03—13/2015/का॰ 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म (कार्यालय का नाम)

प्रमाण	पत्र सं0 :-	दिनांक	:-
पता–ग्र जिला / राज्य में	प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पति श्री पो० गम/वार्ड/शहरराज्य/संघशासित प्रदेश प्रमंडलराज्य/संघशासित प्रदेश ं यथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीर्ग 	(विवाहित महिला थान	के मामले में] I, झारखण्ड
	तथा / अथवा उनका परिवार साधारणतया जेला / प्रमण्डल में निवास करते हैं।	झारखण्ड राज्य के ग्राग	न / नगर
3. की सूर्च	यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झाखण्ड राज्य के ो में कोई परिवर्त्तन होने तक वैद्य होगा।	अनुसूचित जाति अथवा	अनुसूचित जनजाति
टिप्पणी क) ख)	यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ हो धारा— 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व—घोषणा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपा प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमण्डल दण्डाधिक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी	पर आधारित है। सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है युक्त/ अपर उपायुक्त	:– / अपर समाहर्त्ता/
ग)	बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के जानजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।	लिए) तथा संशोधन आ जनजाति आदेश (संशोध	देन 1950 (अनुसूचित धन) अधिनियम 2002
	 गांक :	हस्ताक्षर	